/

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क. 807 / उद्यान शाखा / 2023 कोरबा,दिनांक 06/06/2023

रूचि की अभिव्यक्ति

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा विवेकानंद उद्यान (अप्पू गार्डन) के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु जनसामान्य / विभिन्न संस्थाओं / शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों तथा व्यक्ति से निगम की निर्धारित किरायादारी आबंटन शर्त के तहत 05 वर्ष की किरायादारी / लीज पर उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 23.06.2023 सायं 4.00 बजे तक निम्नांकित शर्तानुसार ई.ओ.आई. (रूचि की अभिव्यक्ति) आमंत्रित की जाती है। ऑफर संबधित विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट www.korbamunicipal.in से प्राप्त की जा सकती है।

शर्ते :-

1. निविदा हेतु अमानत राशि रूपये 5.00 लाख जमा कर निविदा में हिस्सा लिया जा सकता है। निविदा अमानत राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट / बैकर्स चेक के माध्यम से निविदा सूचना के निर्धारित दिनांक तक जमा की जा सकेगी।
2. निविदा प्रपत्र रूपये 1000/- जमा कर निगम कार्यालय से निविदा दिनांक के 1 दिवस पूर्व तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्राप्त किए जा सकते है।
3. निविदाकर्ता विवेकानंद उद्यान (अप्पू गार्डन) में निगम द्वारा वर्तमान तक स्थापित उद्यान, मनोरंजन के साधन, समस्त उपकरण के संपूर्ण संधारण एवं संचालन हेतु प्रीमियम एवं मासिक किराया हेतु निविदा आफर देगा।
4. निविदाकर्ता निविदा आफर में निर्धारित सरकारी बोली पर प्रीमियम एवं मासिक किराया दोनों हेतु अपना निविदा आफर प्रस्तावेत करेगा।
5. निविदा में न्यूनतम (सरकारी बोली) प्रीमियम रू. 25,00,000/- एवं मासिक किराया रूपये 50,000/- निर्धारित है। इस पर उच्चतम निविदाकर्ता को उद्यान संधारण एवं संचालन हेतु लीज पर दिया जावेगा।
6. लीज अवधि 05 वर्ष की होगी, किन्तु 3 वर्ष में 15 प्रतिशत किराया में वृद्धि की जावेगी।
7. लीज अवधि 05 वर्ष समाप्ति के पश्चात दोनों पक्षों की सहमति पर लीज आगामी अवधि जो भी निर्धारण किया जावे के लिए नवीनीकरण सक्षम स्वीकृति पश्चात की जा सकेगी अन्यथा स्थिति में लीज ग्रहिता द्वारा लीज अवधि समाप्ति पर उद्यान का आधिपत्य संधारित स्थिति में वापस निगम को करना होगा।
8. निविदा में प्रीमियम एवं मासिक किराया का उल्लेख स्पष्ट एवं सुवाच्य अंकों एवं शब्दों में होना चाहिए। अस्पष्ट निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
9. निविदा के साथ जमा अमानत राशि की रसीद की फोटो प्रति संलग्न करना होगा। साथ ही लिफाफे पर जमा अमानत राशि का रसीद कमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना होगा।

10. निविदा निर्धारित दिनांक को सायं 3.00 बजे दिन तक बंद लिफाफे में निविदा बक्से में डाली जावेगी, निर्धारित अवधि के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा उसी दिन सायं 4.00 बजे खोली जावेगी।

11. (अ) प्राप्त निविदाएं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं इसके तहत बनाए गए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अचल सम्पत्ति अंतरण) नियम 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होंगी।

(ब) किसी भी निविदा के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उपरोक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी को होगा तथा इसके लिए कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।

12. निविदा की शर्तो में नई शर्त सम्मिलित करना अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम को होगा।

13. निविदा खुलने पर उच्चतम निविदाकर्ता को आफर किए गए प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि निगम कोष में तत्काल जमा करना होगा। जिसमें जमा अमानत राशि समायोजित कर ली जावेगी।

14. प्रस्थापना किये जाने के तत्काल पश्चात, यथास्थिति प्रथम 2 प्रस्थापना करने वालों, की प्रतिभूति निक्षेप की राशि छोड़कर, शेष सभी की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जावेगी।

15. जैसे ही प्रस्थापना की पूरी राशि प्रस्थापना करने वाले द्वारा जमा की जाती है शेष बचे एक प्रस्थापना करने वाले द्वारा जमा प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जायेगी।

16. यदि प्रस्थापना करने वाले, जिसकी प्रस्थापना स्वीकृत की गई है, द्वारा प्रस्थापना की राशि विहित समय के भीतर जमा नहीं की जाती है, तब शर्त में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वितीय प्रस्थापना स्वीकृत कर सकेगा तथा यदि ऐसी प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा भी सूचना मिलने पर विहित कालावधि के भीतर प्रस्थापना की राशि जमा नहीं की जाती है, तब ऐसे द्वितीय उच्चतम प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि की अभिग्रहित कर ली जायेगी।

17. यदि शर्त में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की यह राय हो कि द्वितीय प्रस्थापना को स्वीकृत करने के स्थान पर पुनः प्रस्थापना आमंत्रित की जाये, तब यथास्थिति द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता या प्रस्थापना करने वाले, की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जायेगी।

18. निविदा स्वीकृत होने की सूचना पर निविदाकर्ता को 30 दिवस की अवधि में शेष प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि निगम कोष में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

19. उच्चतम निविदाकर्ता को लीज स्वीकृति सूचना के पश्चात 30 दिवस की अवधि के अंदर 6 माह का अग्रिम किराया जमा करना अनिवार्य होगा।

20. उच्चतम निविदाकर्ता को रूपये 5.00 लाख सुरक्षा निधि के रूप में निगम कोष में जमा करना होगा जो कि लीज अवधि समाप्त होने पर उद्यान के संधारण की स्थिति के भौतिक सत्यापन पश्चात वापस की जावेगी।

21. निर्धारित अवधि के अंदर प्रीमियम व 6 माह का किराया जमा करने पर लीजग्रहीता को मुद्रांक अधिनियम के तहत निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा सम्पादित कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

22. प्रीमियम व अग्रिम किराया जमा कराकर निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध सम्पादित करने के पश्चात ही लीजग्रहीता को उद्यान के संधारण एवं संचालन हेतु आधिपत्य दिया जावेगा।

23. निर्धारित अवधि में प्रीमियम एवं अग्रिम किराया जमा न करने की स्थिति में उच्चतम निविदाकर्ता की स्थिति में उच्चतम निविदाकर्ता की अमानत राशि राजसात कर निविदा की स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी। जिसकी पृथक से कोई सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा।

24. लीज अवधि समाप्ति के पश्चात प्रीमियम राशि वापसी योग्य नहीं होगी। अग्रिम किराया की राशि यदि कोई किराया शेष है तो उसमें समायोजन कर लिया जावेगा अन्यथा वापस कर दिया जावेगा।

25. मासिक किराया प्रत्येक मास की 10 तारीख के अंदर अग्रिम में जमा करना होगा। विलंब की स्थिति में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज विलंब शुल्क के रूप में देय होगा तथा लगातार 6 माह का किराया बकाया होने की स्थिति में लीज निरस्त भी की जा सकेगी।

26. लीज ग्रहिता को विवेकानंद उद्यान (अप्पू गार्डन) का आधिपत्य जिस आधारभूत संरचना के साथ दिया जावेगा, लीज अवधि समाप्ति के पश्चात पूर्णतः संधारित अवस्था में यथा स्थिति आधिपत्य वापस निगम को किया जावेगा। इसमें निगम की स्वीकृति से आबंटिती द्वारा किए गए परिवर्तन व परिवर्धन एवं निर्माण निगम की सम्पत्ति होंगे। केवल पृथक से लीज ग्रहिता द्वारा स्थापित ऐसे उपकरण जो खोलकर पुनः स्थापित किए जाने योग्य होते हैं उन्हें लीजग्रहिता निकाल सकेगा।

27. विवेकानंद उद्यान (अप्पू गार्डन) के वर्तमान स्वरूप जिसमें वृक्ष, उद्यान, सिविल कार्य, जल आपूर्ति सिस्टम, विद्युत सिस्टम एवं फिटिंग्स आदि समस्त संरचनाएं व फिटिंग्स सम्मिलित है के रख – रखाव व विकास को छोड़कर उनके मूल स्वरूप में लीजग्रहिता द्वारा कोई परिवर्तन/परिवर्धन या निर्माण बिना निगम की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जावेगा। निगम से स्वीकृति पश्चात कोई भी परिवर्तन/परिवर्धन या निर्माण निगम के अभियंता के सुपरवीजन में ही किया जावेगा।

28. लीज अनुबंध सम्पादन पश्चात उद्यान की आधारभूत संरचनाओं व फिटिंग्स की एक संयुक्त सूची संधारित कर आधिपत्य प्रदान किया जावेगा। लीज अवधि समाप्ति पर सूची अनुसार सत्यापन कर आधिपत्य वापस लिया जावेगा। नुकसान की गई सामाग्री की वसूली बाजार मूल्य आंकलन कर निगम द्वारा इस हेतु जमा सुरक्षा निधी से की जावेगी।

29. उद्यान का उपयोग जनता के लिए सार्वजनिक रूप से मनोरंजन भ्रमण आदि के लिए ही करना होगा। इसके लिए एक निर्धारित समय सारिणी लीजग्रहिता द्वारा निगम को उपलब्ध कराई जावेगी एवं सार्वजनिक भी की जावेगी। समय सारणी में परिवर्तन की पूर्व सूचना निगम देना एवं सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।

30. लीज ग्रहिता उद्यान में निगम द्वारा निर्धारित शुल्क प्रवेश शुल्क रू. 5/– मेरी गो राउण्ड शुल्क रू. 5/– मिनी ट्रेन शुल्क रू. 10/– क्रिकेट बाल थ्रो शुल्क रू. 10/– एवं वेबपूल 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग हेतु शुल्क रू. 75/– व 12 वर्ष से कम आयु वर्ग हेतु शुल्क रू. 50/– की वसूली कर सकेगा। निर्धारित शुल्क में परिवर्तन हेतु निगम की स्वीकृति आवश्यक है।

31. लीज ग्रहिता द्वारा उद्यान में स्थापित एल.ई.डी. लाईट, मेरीगो–राउण्ड, क्रिकेट थ्रो बाल, मिनी ट्रेन एवं वेबपुल का नियमित रूप से मरम्मत कार्य कराया जावेगा। साथ ही लीज ग्रहिता द्वारा उपकरण खराब होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर सुधार कराया जाना आवश्यक होगा।

32. लीज ग्रहिता द्वारा उद्यान में वेबपूल का संचालन माह अप्रैल, मई एवं जून में किया जावेगा, वेबपुल का संचालन का समय सुबह 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक निर्धारित है एवं वेबपूल संचालन के समय लाईफ गार्ड की नियुक्ति आवश्यक है।

33. लीज ग्रहिता द्वारा जन सामान्य हेतु मनोरंजन, खेल–कूद, मिनी ट्रेन, वेबपुल आदि गतिविधियों को बिना प्रभावित किए एवं निर्धारित समय–सारणी को बिना प्रभावित किए उद्यान में चिन्हित एवं निगम द्वारा निर्धारित प्रभाग का उपयोग निजी अथवा सार्वजनिक, सामाजिक कार्यक्रमों हेतु भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

34. लीज ग्रहिता को उद्यान में भ्रमण करने आने वाले के वाहनों सायकल, स्कूटर एवं कार आदि की उचित पार्किंग व्यवस्था निर्धारित पार्किंग स्थल पर कराना होगा। पार्किंग व्यवस्था ऐसी की जावेगी, जिससे मार्ग में यातायात बाधित न हो।

35. लीज ग्रहिता उद्यान का आधिपत्य लेने के दिनांक से उद्यान में उपभोग की गयी समस्त विद्युत के प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

36. लीज ग्रहिता द्वारा नगर पालिक निगम के जल आपूर्ति हेतु स्थापित पाईप लाईन आदि समस्त अधोसंरचनाओं का रख–रखाव स्वयं के व्यय से करेगा एवं आपूर्ति किये जा रहे जल का प्रभार शुल्क नगर पालिक निगम को निर्धारित दर पर किये जाने का उत्तरदायी होगा।

37. निगम के आयुक्त एवं इसके लिए आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी समय उद्यान का निरीक्षण कर सकेंगे। लीज ग्रहिता एवं इसके कर्मचारी निरीक्षण में सहयोग करेंगे एवं इसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करेंगे।

38. लीज ग्रहिता उद्यान में भ्रमण करने, खेल–कूद उपकरण, मिनी ट्रेन, वेब पूल, फौब्वारों आदि के अवलोकन एवं उपयोग करने आने वाले नागरिकों बच्चों आदि सभी की संरक्षा के पूर्ण उपाय निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करेगा। इसके लिए वह उन सभी उपायों की भी व्यवस्था करेगा, जिनकी वर्तमान में व्यवस्था नहीं है। जनहित व जन सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करना अनिवार्य है। ऐसे उपाय करने की चूक होने पर होने वाली किसी भी जन धन हानि अथवा क्षतिपूर्ति आदि सभी का उत्तरदायित्व पूर्णतः लीज ग्रहिता का होगा।

39. लीज ग्रहिता के समस्त कर्मचारी एक निर्धारित वेषभूषा एवं परिचय पत्र धारण करेंगे। जिसकी सूची निगम को उपलब्ध कराना होगा।

40. उद्यान में मनोरंजन गतिविधियों के संचालन में 01 दिवस का साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त रख–रखाव हेतु यदि संचालनकर्ता को किसी भी अवधि के लिए बंद करना होगा तो इसकी पूर्व सूचना निगम को देना एवं सार्वजनिक करना होगा।

41. उद्यान का उपयोग किसी भी प्रकार के राजनितिक, व्यक्तिगत एवं अन्य विज्ञापनों का उपयोग नहीं किया जावेगा।

40. लीज ग्रहिता द्वारा उद्यान में साफ–सफाई की व्यवस्था एवं जन सामान्य को किसी भी संक्रमण से बचाने की पूर्ण व्यवस्था रखनी होगी। साथ ही साथ उद्यान से निस्तारित होने वाले ठोस अपशिष्ट कचरे के लिए निगम को निर्धारित प्रभार देना होगा।

42. लीज शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा जनहित में आवश्यक होने पर निगम द्वारा कभी भी लीज समाप्त करने का अधिकार रहेगा।

43. लीजग्रहिता यदि चाहे तो 03 माह का नोटिस देकर अनुबंध अवधि में लीज समाप्त करा सकता है, ऐसी स्थिति में निगम को संभावित कोई भी क्षति की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा लीजग्रहिता से की जावेगी एवं ऐसी स्थिति में प्रीमियम राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

44. निविदा शर्तो/अनुबंध शर्तो, संधारण एवं संचालन की अवधि के समय कोई भी विवाद अथवा शर्तो नियमों आदि की व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में लीजग्रहिता के आवेदन पर प्रकरण आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा निराकरण हेतु पंच निर्णय के लिए दिया जा सकेगा। पंच निर्णायक (आर्बी ट्रेटर) की नियुक्ति आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा की जावेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)